म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल

क्र/बोर्ड/योजना/गै.त./82–पार्ट/2019–20/516 भोपाल, दिनांक 03/9/19

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय..........................(समस्त)

विषय :– मण्डी समिति में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के चिकित्सा परीक्षण के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 3440 दिनांक 27.08.2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति हरदा जिला हरदा में हम्माल/तुलावटियों तथा कृषकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजन किया जाकर राशि रूपये 51,418/–व्यय की स्वीकृति चाही गई है।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 341–342 दिनांक 24.06.2019 में उल्लेखित निर्देशानुसार जिन हम्माल/तुलावटियों की आयु 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना था, परन्तु संलग्न अभिलेखों में हम्माल/तुलावटियों की आयु का उल्लेख नहीं है, इसके अलावा कृषकों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसका आदेश में कोई उल्लेख नहीं है, सचिव मण्डी समिति हरदा द्वारा अवाश्यकता से अधिक व्यय किया जाकर मुख्यालय से कार्योत्तर स्वीकृति चाही गई है, जबकि आदेश अनुसार आंचलिक कार्यालय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाकर निर्देशानुसार 50 वर्ष से अधिक आयु के हम्माल/तुलावटियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना था।

अतः संभागांतर्गत अधीनस्थ मण्डी समितियों में यथा आदेशानुसार कार्यवाही की जाकर पालनप्रतिवेदन 15 दिवस की समयावधि में मुख्यालय को प्रेषित किया जावे।(मूलतः पत्र संलग्न है।)

संलग्न :– मूलतः पत्र।

संयुक्त संचालक(योजना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

O/C

क्र क्र/बोर्ड/योजना/गै.त./82–पार्ट/2019–20/517 भोपाल, दिनांक 03/9/19

प्रतिलिपि :–

1. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति हरदा जिला हरदा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक(योजना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

O/C

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / यो. / गैर.तक. / 82 / 341 भोपाल, दिनांक 24 / 06 / 2019

आदेश

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड की संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 12.06.2019 में पारित अतिरिक्त प्रस्ताव क्र. 02 अनुसार प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत हम्माल एवं तुलावटी के चिकित्सा उपचार हेतु वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शिविर का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों को स्वास्थ्य परीक्षण निम्न शर्तों के तहत कराया जावेगाः–

1. मण्डी समिति में हम्माल एवं तुलावटी अनुज्ञप्तिधारी हो।
2. हम्माल एवं तुलावटी की आयु 50 वर्ष से अधिक हो।
3. हम्माल एवं तुलावटी मण्डी में नियमित कार्य करता हो।
4. प्रत्येक वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) संबंधित जिला / स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क स्थापित कर शिविर का आयोजन कर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावे।
5. स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत, एक्सरे, ब्लड प्रेशर, ई0सी0जी0, ब्लड प्रोफाईल, सोनोग्राफी, आखों की जांच, कानों की जांच कराई जावे।
6. शासकीय चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वीकृत दरों के आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावे।
7. जहां शासकीय चिकित्सालय में कंडिका क्रमांक 05 में उल्लेखित जांच उपलब्ध न हो अथवा शिविर आयोजित करने में असमर्थता जाहिर की गई हो वहां निजी चिकित्सालयों से कोटेशन प्राप्त किया जाकर न्यूनतम दर पर (अधिकतम राशि रूपये 1,000 / –प्रति व्यक्ति) स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कराया जावे।
8. मण्डी समिति के बजट में इस मद में प्रावधान न हो तो अनिवार्य रूप से प्रावधान किया जावे।
9. स्वास्थ्य परीक्षण पर होने वाले व्यय के लिये संयुक्त संचालक / उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत मण्डी समिति अपने स्तर से मण्डी निधि से राशि वहन करेगी।
10. कृपया प्रथम चरण में स्वास्थ्य परीक्षण 15 जुलाई के पूर्व करा लें तथा आयोजित शिविर की रिर्पोट तथा चित्र प्रेषित करें।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा।

22/6

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / यो. / गैर.तक. / 82 / 342 भोपाल, दिनांक 24 / 06 / 2019

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री सह अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल.

(2) प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

(3) कलेक्टर, जिला—..म.प्र. (समस्त)

(4) अपर संचालक(वित्त / कार्मिक / योजना / नियमन), म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल.

(5) संयुक्त / उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....(समस्त) की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त योजना का कियान्वयन अधीनस्थ मंडी समिति में सुचारू रूप संचालित किया जावे एवं इस की समय—समय पर समीक्षा की जावे।

(6) भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.. जिला.....................................(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि योजना का प्रचार प्रसार किया जावे एवं उक्त योजना के कियान्वयन के लिये जारी निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक—सह—आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल